E-Mail
FAT

पत्र संख्या :– 01 स्था (वि0)– 110 / 2018 ......850......

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

प्रेषक,

सुरेश कुमार दास,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
गुमला।

राँची, दिनांक :– 8-4-2021

विषय :– सेवा अनुबंध पर कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवा, सेवा अनुबंध पर प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 146 दिनांक 26.03.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा सेवा अनुबंध पर कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवा, सेवा अनुबंध पर प्राप्त करने के विषय पर कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन की मांग की गयी है।

तद्नुसार उक्त विषय पर निम्नवत स्थिति स्पष्ट की जाती है :–

i. लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता बी0कॉम / बी0एस0सी0 (गणित / सांख्यिकी) / बी0ए0 (गणित / सांख्यिकी) अथवा समकक्ष रखी गयी है। समकक्ष डिग्री का तात्पर्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक स्तर की त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम आधारित डिग्री होगी जिसमें एक विषय गणित अथवा सांख्यिकी अनिवार्य रूप से तीनों वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल रहा हो।

ii. सेवा अनुबंध हेतु जिला स्तरीय पैनल तैयार करने के क्रम में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्य के अनुभव के लिए अधिकतम 30 अंक निर्धारित है। स्पष्टतः अधिकतम अंक सबसे ज्यादा अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को देय होगा। चूँकि 14वें वित्त आयोग की अवधि 05 वर्षों की थी, अतः अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों में अभ्यर्थी के वर्षवार अनुभव अवधि के अनुरूप देय अंक निर्धारित करने के बिन्दु पर निर्णय लेने में जिला स्तरीय चयन समिति स्वयं सक्षम है।

iii. विषय ज्ञान से संबधित प्रश्न पत्र विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा निदेश अलग से जारी की जाएगी।

विश्वासभाजन

8-4-21

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0)– 110 / 2018 ......850...... दिनांक :– 8-4-2021

प्रतिलिपि :– सभी उपायुक्त, झारखण्ड (गुमला को छोड़कर), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8-4-21

सरकार के अवर सचिव।

En Ashish lee\Hindi Letter.docx